

कार्य संहिता 2016



शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्य संहिता 2016



अंतर्राष्ट्रीय छात्र और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यह पुस्तिका शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्य संहिता 2016 (संहिता) को संक्षिप्त करती है. यह उन छात्रों और उनके अभिभावकों को किसी न्यूज़ीलैंड शिक्षा प्रदाता या किसी शिक्षा प्रदाता के एजेंट द्वारा किए गए उनके उपचार को लेकर उनकी कोई शिकायत होने पर क्या करना चाहिए इस पर जानकारी प्रदान करता है.

संहिता क्या है?

न्यूज़ीलैंड शिक्षा प्रदाताओं की अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है. संहिता ऐसी सलाह और देखभाल के न्यूनतम मानक सेट करता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शिक्षा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है. यह सुनिश्चित करता है कि अन्य देशों से पढ़ाई करने के लिए न्यूज़ीलैंड आने वाले छात्र अच्छी तरह से सूचित, सुरक्षित हैं और उनका ठीक तरह से देखभाल किया जा रहा है.

न्यूज़ीलैंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र वे होते हैं जो घरेलू छात्र नहीं होते हैं. इसके बारे में www.education.govt.nz पर न्यूज़ीलैंड शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके बारे में और जानकारी दी गई है.

न्यूज़ीलैंड कालिफ़िकेशन ऑथोरिटी (NZQA) न्यूज़ीलैंड सरकार की ओर से संहिता का व्यवस्थापक है.

संहिता किस पर लागू होती है?

न्यूज़ीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करने वाले सभी शिक्षा प्रदाताओं को संहिता का हस्ताक्षरी होना चाहिए और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए.

संहिता पर हस्ताक्षर करने वाले शिक्षा प्रदाताओं की सूची www.nzqa.govt.nz पर NZQA की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

मुझे संहिता की कॉपी कैसे प्राप्त हो सकती है?

कृपया संहिता पढ़ें, जो NZQA वेबसाइट पर कई भाषाओं में उपलब्ध है.

यदि आपके पास संहिता के बारे में अतिरिक्त प्रश्न हैं, कृपया code.enquiries@ nzqa.govt.nz को ईमेल भेज सकते हैं

एक शिक्षा प्रदाता से आप किसकी अपेक्षा कर सकते हैं?

छात्र और उनके परिवार शिक्षा प्रदाताओं से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकते हैं:

- स्पष्ट, पर्याप्त और सटीक जानकारी देना, ताकि आप अपनी शिक्षा के बारे में सूचित चुनाव कर सकें
- आपको अपने कानूनी बाध्यताओं और अधिकारों पर स्पष्ट, समझने योग्य जानकारी देना, जिसमें धनवापसी नीतियां और आपके द्वारा प्रदाता के साथ किए गए किसी भी अनुबंध के तहत आपके नामांकन की समाप्ति शामिल है
- जांचना कि आपके पास निर्धारित बीमा कवर है
- पढ़ाई के लिए सुरिक्षत और सहायक माहौल प्रदान करना
- जहां तक व्यावहारिक हो, यह सुनिश्चित करना कि आप सुरिक्षत और उपयुक्त जगह रहते हैं
- आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करने के लिए और आपकी बाध्यताओं को बाह्यरेखित करने के लिए आपको व्यापक ऑरिएंटेशन प्रोग्राम प्रदान करना
- यह सुनिश्चित करने के लिए उनके ऐजेंट को मॉनिटर करना कि वे आपको न्यूज़ीलैंड में पढ़ने, काम करने और रहने के बारे में विश्वसनीय जानकारी और सलाह देते हैं
- सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित शैक्षिक निर्देश आपकी अपेक्षाओं, अंग्रेज़ी भाषा की निपुणता और अकादिमक क्षमता के लिए उपयुक्त है

- उचित नीति और कार्यविधियां लागू करना ताकि छात्रों की भुगतान की गई फ़ीस सुरक्षित हो और यदि आप अपने पाठ्यक्रम से नाम वापस लेते हैं या वह बंद हो जाता है तो आपको उपयुक्त धनवापसी की जा सके
- सुनिश्चित करना कि आपके पास विपत्तियों (चिंताओं और शिकायतों) से निपटने के लिए उचित और निष्पक्ष कार्यविधियों तक की पहुंच हो.

क्या होगा यदि कुछ गलत हो जाए?

यदि आपकी इस बारे में चिंताएं हैं कि आपका शिक्षा प्रदाता या कोई एजेंट आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो आपको पहले अपने प्रदाता से संपर्क करना चाहिए और विपत्तियों से संबंधित कार्यविधियों का पालन करें.

शिक्षा प्रदाताओं के पास निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने के लिए किसी भी चिंता या शिकायत को सुनने और उससे निपटने के लिए एक आंतरिक विपत्ति कार्यविधि होनी ही चाहिए. उन्हें एक व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए जिनसे आप बात कर सकें और जो आपकी चिंताओं या शिकायतों को दूर करने के तरीकों पर आपको सलाह देगा. यह प्रमुख या अंतर्राष्ट्रीय छात्र निदेशक हो सकता है.

यदि प्रदाता की विपत्ति प्रक्रिया आपकी चिंताओं या शिकायतों को दूर नहीं करती है, तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं:

- NZOA (किसी प्रदाता द्वारा संहिता का उल्लंघन करने से संबंधित चिंताओं और शिकायतों के बारे में) या
- iStudent Complaints
 (धन या अनुबंधों के बारे में चिंताओं
 और शिकायतों के लिए).

क्या आपकी शिकायत प्रदाता द्वारा संहिता का उल्लंघन करने के बारे में है?

संहिता व्यवस्थापक के रूप में संहिता के संभावित उल्लंघनों की जांच करने के लिए NZOA के पास कानूनी प्राधिकार होता है. इसके पास यह पता लगाने की एक प्रक्रिया होती है कि क्या चिंता या शिकायत मान्य है और क्या किसी प्रदाता ने संहिता का उल्लंघन किया है. इसमें दोनों छात्र से जानकारी प्राप्त करना शामिल है, पहला वह जिसने चिंता या शिकायत दर्ज की है और दूसरा जो शिक्षा प्रदाता है.

शिकायत करने का तरीका जानने के लिए NZQA वेबसाइट www.nzqa.govt.nz/ about-us/make-a-complaint/ make-a-complaint-about-a-provider/

आपकी शिकायत धन संबंधी है या अनुबंध संबंधी है?

iStudent Complaints न्यूज़ीलैंड सरकार का एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता है जो शिक्षा प्रदाता के साथ धन या अनुबंधों को लेकर आपकी चिंताओं या शिकायतों को हल करने में मदद कर सकता है. सेवा निःशुल्क है.

आप कुछ तरीकों से iStudent Complaints से संपर्क कर सकते हैं:

वेबसाइट

www.istudent.org.nz

ईमेल

complaints@istudent.org.nz

अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन नंबर 64 4 918 4975

फ्रीफ़ोन

(न्यूज़ींलैंड के अंदर) 0800 00 66 75

फ़ैक्स

64 4 918 4901

सामाजिक मीडिया पर:

Facebook

www.facebook.com/istudent.complaints

WeChat

('NZ iStudent Complaints' खोजें, केवल चीनी भाषा में)

पोस्टः

iStudent Complaints P.O. Box 2272 Wellington 6014 New Zealand

छिव Brand Lab (ब्रांड लैब) से साभार

